

तारीख हुमा

हुमा या जमाबंदी मय इतिहासियत मय

नगर व तहसील अहमम जो हुमा हुमा की तामील में जारी किया

5/1/2022

तहसीलदार भू.अ./प्रशा.तहसीलदार. रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्रशा.सं.अ./2022/1528 दिनांक 5/1/2022 के द्वारा प्रसारण गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट प्राग पंचायत में प्रार्थी के नाम चक की जमाबंदी सम्बन्ध 2023-2026 के खाता सं. 121 में

भागम पुत्र सुखराम जाति कावरी शेष अंकन बदस्तूर रहेगा के स्थान पर भागम पुत्र सुखराम जाति कावरी का अंकन बदस्तूर रहेगा के स्थान पर

की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की गयी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक कावरी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध 2023-2026 के खाता सं. 121 में

भागम पुत्र सुखराम जाति कावरी का अंकन बदस्तूर रहेगा के स्थान पर

भागम पुत्र सुखराम जाति कावरी का अंकन बदस्तूर रहेगा के स्थान पर भागम पुत्र सुखराम जाति कावरी का अंकन बदस्तूर रहेगा के स्थान पर की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

सुखराम कावरी

